

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य तथा रसद अनुभाग-1
संख्या-10 /2017/रा-405/29-1-2017-22विविध/2017
लखनऊ:: दिनांक 25 मई, 2017
कार्यालय आदेश

नियमित तैनाती होने अथवा अग्रिम आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो के लिए उप आयुक्त (खाद्य) चित्रकूट मण्डल बांदा का प्रभार तात्कालिक प्रभाव से जिला पूर्ति अधिकारी बांदा को अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाता है। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/ भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

शशि भूषण लाल सुशील
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी ।
- 3- संभागीय खाद्य नियंत्रक / उप आयुक्त (खाद्य) चित्रकूट मण्डल बांदा ।
- 4- संबंधित अधिकारी।
- 5 - कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।